न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 458 दर्ज तिथिः–02.07.2024

1. गणेशा पुत्र रतना
2. खीमराज पुत्र रतना
   जाति कलबी निवासी सोढो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

............................प्रार्थी

बनाम

1. पाताराम पुत्र भारता
2. मांगाराम पुत्र भारता
   जाति पुरोहित निवासी सोढो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..........................अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88, 188 के तहत हाजा न्यायालय में वाद संख्या 2024 / 269 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 567 / 354 सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी व प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 355 सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी आपस में सेढे–सेढ पडोस में अवस्थित है। वक्त बंदोबस्त प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 355 सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी का भाग रकबा 0.2428 है0 बंदोबस्त विभाग के कार्मिकों द्वारा गलती से वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 354, वर्तमान खसरा सख्या 567 / 354 के साथ जोड़ दिया गया। उक्त गलती को दुरस्त करवाने एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 355 सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी का भाग रकबा 0.2428 है0 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रतिवादी का पूर्ववर्ती वाद संख्या 2024 / 269 बउनवान गणेशाराम बनाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

पाताराम हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अंत में प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 355 / 6.0055 है0 मौजा सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। प्रार्थीगण की आराजी के सेढे सेढ प्रतिवादी की खातेदारी आराजी 567 / 354 सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी अवस्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर वक्त बंदोबस्त से पूर्व से आदिनांक तक काबिज काश्त है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी के चारों तरफ पुरानी माठे बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र संख्या 198 / 2022 उनवान जवानाराम बनाम चिमनाराम हाजा अदालत में प्रस्तुत किया। हाजा अदालत द्वारा प्रार्थना—पत्र संख्या 198 / 2022 उनवान जवानाराम बनाम चिमनाराम का दिनांक 21.08.2023 को निर्णय किया गया। हाजा अदालत के निर्णय दिनांक 21.08.2023 की पालना में दिनांक 03.05.2024 को नेखमबंदी की गई। उक्त नेखमबंदी आवेदन के दौरान प्रतिवादी द्वारा वादी के खेत के सेढे के पत्थर संख्या जी0, एच0, आई0, ई0 तथा एफ0 के मध्य स्थित आराजी पर कब्जा कर लिया। उक्त प्रतिवादी का कब्जा नेखमबंदी की पालना रिपोर्ट से स्पष्ट है। वादी ने प्रतिवादी को अपना कब्जा हटाने के लिए अनुरोध किया। परन्तु प्रतिवादी द्वारा कब्जा हटाने से मना कर दिया। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कब्जे को हटवाकर अप्रार्थीगण को बेदखल कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने में सफल हो जाते है तो इससे प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी / प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अप्रार्थी ने दौराने जिरह करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के प्रावधान पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के प्रावधान इस प्रकार है–

212. Provision for injunction and appointment of a receiver—
(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —
(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or
(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.

(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under subsection (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिनका उद्धरण इस प्रकार हैः–

ORDER XXXIX
TEMPORARY INJUNCTIONS AND INTERLOCUTORY ORDERS
Temporary injunctions

1. Cases in which temporary injunction may be granted.—
Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise—
(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or
(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to [defrauding] his creditors,
(c) that the defendant threatens to dispossess, the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit, the Court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property [or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit] as the Court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.

2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.—
(1) In any suit for restraining the defendant from committing a

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained, of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.
(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the Court thinks fit.

6. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—04 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिनका उद्धरण इस प्रकार हैः—

4. Order for injunction may be discharged, varied or set aside.—*Any order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the Court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:*

Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, a party has knowingly made a false or misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the Court shall vacate the injunction unless, for reasons to be recorded, it considers that it is not necessary so to do in the interests of justice:

Provided further that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances, or unless the Court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party.

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। सर्वप्रथम स्वामित्व व कब्जे के बिंदू का विश्लेषण अपेक्षित है। इस संबंध में प्रार्थीगण का अभिकथन है कि वक्त बंदोबस्त प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 355 सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी का भाग रकबा 0.2428 है0 बंदोबस्त विभाग के कार्मिकों द्वारा गलती से वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 354, वर्तमान खसरा सख्या 567/354 के साथ जोड़ दिया गया। उक्त गलती को दुरस्त करवाने एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 355 सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी का भाग रकबा 0.2428 है0 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रतिवादी का पूर्ववर्ती वाद संख्या 2024/269 बउनवान गणेशाराम बनाम पाताराम हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अंत में उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। इसके खंडन में अप्रार्थीगण का अभिकथन है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र संख्या 198/2022 उनवान जवानाराम बनाम चिमनाराम हाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

अदालत में प्रस्तुत किया। हाजा अदालत द्वारा प्रार्थना–पत्र संख्या 198 / 2022 उनवान जवानाराम बनाम चिमनाराम का दिनांक 21.08.2023 को निर्णय किया गया। हाजा अदालत के निर्णय दिनांक 21.08.2023 की पालना में दिनांक 03.05.2024 को नेखमबंदी की गई। उक्त नेखमबंदी आवेदन के दौरान प्रतिवादी द्वारा वादी के खेत के सेढे के पत्थर संख्या जी0, एच0, आई0, ई0 तथा एफ0 के मध्य स्थित आराजी पर कब्जा कर लिया। उक्त प्रतिवादी का कब्जा नेखमबंदी की पालना रिपोर्ट से स्पष्ट है। वादी ने प्रतिवादी को अपना कब्जा हटाने के लिए अनुरोध किया। परन्तु प्रतिवादी द्वारा कब्जा हटाने से मना कर दिया। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कब्जे को हटवाकर अप्रार्थीगण को बेदखल कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

8. प्रकरण में वर्तमान में उक्त आराजी को लेकर प्रार्थी का खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी वक्त बंदोबस्त प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 355 सोढो की ढाणी पटवार मंडल रतनपुरा तहसील गुडामालानी का भाग रकबा 0.2428 है0 बंदोबस्त विभाग के कार्मिकों द्वारा गलती से वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 354, वर्तमान खसरा सख्या 567 / 354 के साथ जोड़े गए भाग पर प्रार्थीगण की आमदरफत में अप्रार्थीगण द्वारा उत्पन्न किये जा रहे एवं उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधान को रोकने हेतु ताफैसल प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद करवाना चाहते है। प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित नहीं है। वर्तमान में उक्त भाग पर प्रतिवादी की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित नहीं होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट नहीं है।

9. प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित नहीं है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित नहीं होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अगर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को भारी क्षति होती है। इस प्रकार प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से अपूरणीय क्षति कारित होना स्पष्ट नहीं है।

10. प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित नहीं है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित नहीं होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अगर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को भारी असुविधा होती है। इससे अप्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से असुविधा होती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट झुकाव नहीं रखता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित नहीं है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित नहीं होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से असुविधा होती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट झुकाव रखता है तथा प्रार्थी के पक्ष में झुकाव नहीं रखता है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से अपूरणीय क्षति कारित होना स्पष्ट है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक खातेदार को उसके खातेदारी आराजी पर निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय प्रथमदृष्टया अप्रार्थी की खातेदारी आराजी पर ताफैसल दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है

आज 28.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:28 IST
Reason: SelfAttested